न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 517/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.शिवलाल 2.किशनाराम 3. गणेशराम 4.गोविन्दराम पिसरान अमराराम जातियान माली निवासीयान सर का बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।		1 चिमाराम पुत्र जोधाराम 2 झमकू देवी पत्नी लुणाराम 3.रामेश्वर पुत्र कानाराम जातियान माली निवासीयानसर का बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :-

1. श्री राजूराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 23/04/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मौजा सर का पार पटवार हल्का बांदरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 754 रकबा 0.8579 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत मौजा मौजा सर का पार पटवार हल्का बांदरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1240/752 रकबा 0. 1295 हेक्टयेर व खसरा संख्या 1241/752 रकबा 0.1133 हेक्टेयर व सरकारी भूमि खसरा संख्या 749 रकबा 1.0279 हेक्टेयर में से आगे मुख्य सड़क मार्ग जो जोगासर फांटा से जोगासर जाती है तक आने–जाने हेतु एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे मुख्य सड़क मार्ग जो जोगासर फांटा से जोगासर जाती पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नोटिस तामिल होकर पत्रावली में प्राप्त हुए, अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/251ए/2024/07 दिनांक 03.01.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा सर का पार पटवार हल्का बांदरा के खसरा संख्या 754 की भूमि से डामर सड़क तक आने–जाने

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

हेतू न्यूनतम दूरी के मार्ग हेतू मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट खातेदारों की उपस्थिति में तैयार की गई है, ग्राम रार का पार खसरा संख्या 754 से डामर सड़क तक न्यूनतम दूरी का रास्ता ग्राम ढूंढा के खसरा संख्या 952/421 उपनिदेशन पशुपालन विभाग बाड़मेर के नाम दर्ज होने से द्वितीय न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 746 व 749 से है जिसका विवरण निम्नानुसार हैं को रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई/चौडाई (मीटर में)	प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4		5	7
1	कानाराम, मंगलाराम पि. मीठाराम, पूरो पत्नी मीठाराम संतोकाराम वल्द हराराम कौम माली सा. देह खातेदार	746	2.0882	गै.मु.	80 X 6	480
2.	राज्य सरकार	749	1.0279	बा.दो.	48 X 6	288

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 746 पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के वाद संख्या 83/2012 द्वारा मौका व रेकर्ड का स्थगन का नोट लोग हुआ हैं।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने—जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेद्रन किया।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनने के पश्चात तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता जो मौके पर खाली है किसी प्रकार का निर्माण नहीं हैं, प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम व न्यूनतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "लाल" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251—क के [illegible] प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत [illegible] के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट [illegible] नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है जो तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर सर का पार खसरा संख्या 754 से डामर सड़क तक न्यूनतम दूरी का रास्ता ग्राम दूंढा के खसरा संख्या 952/421 उपनिदेशन पशुपालन विभाग बाड़मेंर के नाम दर्ज होने से द्वितीय न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 746 व 749 से में निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	कानाराम, मंगलाराम पि. मीठाराम, पूरो पत्नी मीठाराम संतोकाराम वल्द हराराम कौम माली सा. देह खातेदार	746	2.0882	गै.मु.	80 X 6	480
2.	राज्य सरकार	749	1.0279	बा.दो.	48 X 6	288

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी राशि की दूगुनी राशि की गणना करते हुए नियमानुसार प्रार्थीगण बैंकर्स चैक प्राप्त करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाने के पश्चात सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में स्थगन की जांच करते हुए नियमानुसार रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 18.12.2024 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पंत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23/04/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested